न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट अलेई)

वाद संख्या :— 02/20/2012

रघुनाथ बनाम चिरंजीलाल वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 07.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट अलेई पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 25.01.2012 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1207/0.06 है. वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 26.04.2012 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आराजी विवादित मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2065—68 के इन्द्राज के अनुसार सहखातेदारी की आराजी है। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वर्ष 2012 से प्रचलन में है जिसका कि अभी निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1207/0.06 है. वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 25.01.2012 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 कैम्प कोर्ट अलेई पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट अलेई)